अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

मिस वाद संख्या 75 / 19

सौमित्री षाडंगी — बनाम — प्रबोध मंडल (5)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
20-07-2019	अभिलेख उपस्थापित । सर्वप्रथम यह वाद प्रथम पक्ष द्वारा दायर आवेदन एवं शपथ पत्र पर प्रारम्भ किया गया जिसमें यह बताया गया कि प्रथम पक्ष शांतिप्रिय एवं कानून मानने वाले व्यक्ति हैं और वाद भूमि उनके होने के नाते उनके दखल में हैं, जो उन्हे वंशागत रूप में प्राप्त भूमि हैं । वाद भूमि खाता नं० 126 मौजा वार्ड नं० 9 चक्रधरपुर नगरपालिका थाना चक्रधरपुर जिला प०सिंहभूम के अंतर्गत स्थित है जिसका प्लाट नं० 496 रकवा 14 डि० का अंश उत्तरी भाग में 30 फीटx 3 फीट है जिसकी चौहदी उत्तर– प्रबोध मण्डल (द्वितीय पक्ष) दक्षिण– प्रथम पक्ष का नीज पूरब– प्रथम पक्ष का नीज पश्चिम– प्रथम पक्ष का नीज । उक्त जमीन जो हाल सर्वे में सम्मिलित रूप में से खतियान में दर्ज होकर है जो प्रथम पक्ष के पिता एवं अन्य के नाम से दर्ज होकर है और खतियानी रैयतों के जीवन काल में ही खतियानी जमीन का विभाजन हो चुका था और वाद भूमि प्रथम पक्ष के पिता स्वर्गीय माधव चन्द्र षाडंगी को प्राप्त हुआ और पिता के मरणोपरांत उक्त जमीन उत्तराधिकारी के रूप प्रथम पक्ष को प्राप्त हुआ और वे शांतिपूर्ण दखल कर रहे है और आगे यह बताया गया कि द्वितीय पक्ष वाद भूमि को हड़पने की नीयत से लोहा टीन खड़ा कर दिए जब प्रथम पक्ष द्वारा मना किया गया तो द्वितीय पक्ष दृढ़ता पूर्वक इसका विरोध किए और कहा गया कि यह उनका (द्वितीय पक्ष) का है । जिससे सार्वजनिक शांति द्वितीय पक्ष के हाथों सवाल बन गयी, साथ ही यह भी बताया गया कि पूर्व में द्वितीय पक्ष खाता नं० 90 प्लॉट नं० 489 एवं 490, वार्ड नं० 9 चक्रधरपुर नगरपालिका अंर्तगत अपनी जमीन की मापी हेतू आवेदन किए जिसकी सूचना प्रथम पक्ष को नोटिस के माध्यम से प्राप्त हुई । अमीन भी उपस्थित हुए पर मापी कार्य नहीं हुआ और अंत में प्रथम पक्ष आग्रह किए कि उभय पक्ष की उपस्थिति में वाद भूमि को मापी कर वाद को प्रथम पक्ष के पक्ष में एब्सोल्यूट(Absolute) किया जाए । इस वाद में उभय पक्ष द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया । द्वितीय पक्ष द्वारा भी वाद भूमि से सेट अपना जमीन का सीमांकन कराना चाहते हैं, इस संबंध में अंचल अधिकारी चक्रधरपुर को आवेदन प्रेषित लगान (कागजात संलग्न) किए जिसमें सीमांकन हेतु रसीद वर्ष 2015–16 का दाखिल किया गया जो काफी पुराना है। इस वाद में उभय पक्ष द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं उपलब्ध कराए गये कागजातों का अवलोकन किया, जिससे न्यायालय यह निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह वाद सीमांकन से संबंधित है इसलिए शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु द्वितीय पक्ष को यह निर्देश दिया जाता है कि यह वाद भूमि से अविलम्ब टीन एवं अन्य समान कुछ भी हो हटाते हुए वाद भूमि से सटे द्वितीय पक्ष अपनी जमीन का सीमांकन का सीमांकन करवाकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को दिनांक 27.07.2019 तक सूचित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराई जाए। 20.7.19 अनुमण्डल दण्डाधिकारी पोड़ाहाट, चक्रधरपुर ।	